22-05-2023

पीएलआई योजना के दूसरे चरण को मंजूरी

समाचार पत्रों में क्यों?

केंद्र सरकार ने आईटी हार्डवेयर के लिए 17,000 करोड़ की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी।

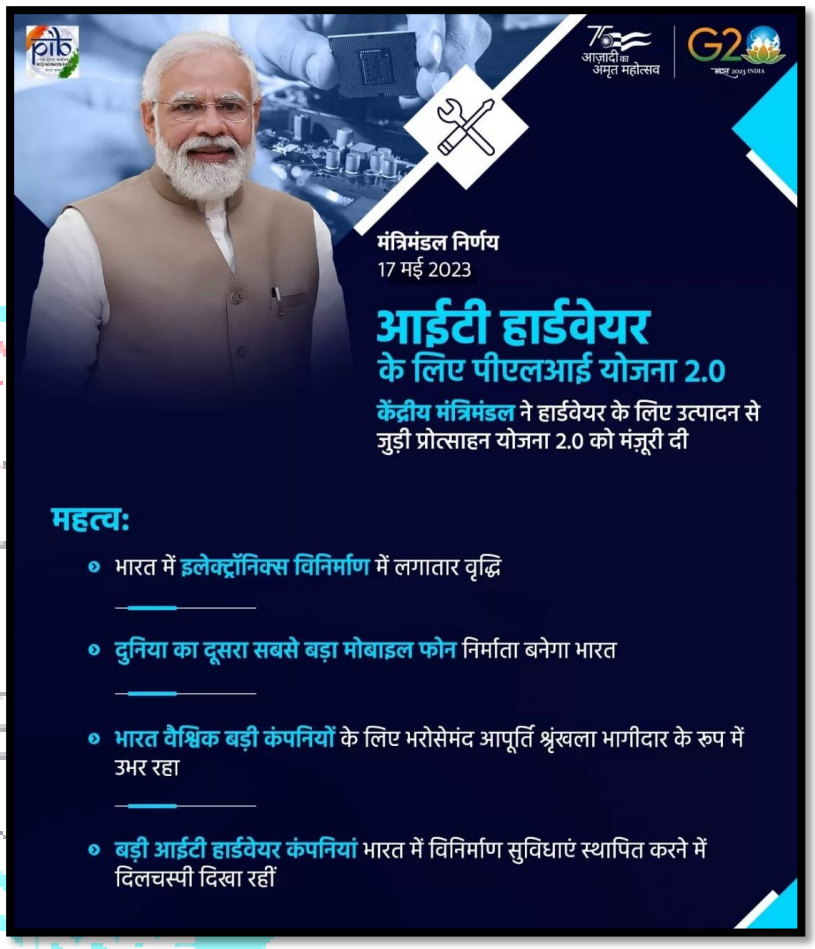

त्वरित मुद्दा?

- सरकार ने आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- इस कदम का उद्देश्य हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स के घरेलू विनिर्माण में तेजी लाना है, जो भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बनाने के प्रयासों पर आधारित है।
- पीएलआई उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे लैपटॉप, पीसी, ऑल-इन-वन कंप्यूटर, सर्वर और अल्ट्रा-स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइस के उत्पादन को कवर करेगा।
- भारत ' आयात प्रतिस्थापन' की मानसिकता से 'वैश्विक मांग को पूरा करने की ओर बढ़ रहा है।
- इस योजना से Rs. 3.35 लाख करोड़ का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है, Rs. 2,430 करोड़ के नए निवेश आकर्षित होंगे, और छह साल की अवधि में 75,000 नई नौकरियां पैदा होंगी।
- भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण ने पिछले 8 वर्षों में 17% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ लगातार वृद्धि देखी है।
- भारत में वार्षिक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण ने उत्पादन में प्रमुख बेंचमार्क यानी 9 लाख करोड़ को पार कर लिया है।
- वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र भारत आ रहा है, और भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण देश के रूप में उभर रहा है।
- पिछले तीन वर्षों में, भारत ने चीन के विनिर्माण उद्योग के साथ वैश्विक मोहभंग को भुनाने का प्रयास किया है।

ग्रीन डिपॉजिट के लिए आरबीआई का नियामक ढांचा

समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही में आरबीआई बैंकों के लिए ग्राहकों से ग्रीन डिपॉजिट स्वीकार करने के लिए एक नियामक ढांचा लेकर आया है।

त्वरित मुद्दा?

- ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए आरबीआई का ढांचा कुछ शर्तों को पूरा करता है जिन्हें बैंकों को ग्राहकों से ग्रीन डिपॉजिट स्वीकार करने के लिए पूरा करना होगा।"

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- बैंकों को अपने संबंधित बोर्डों द्वारा अनुमोदित नियमों या नीतियों के एक सेट के साथ आना होगा, जिनका ग्राहकों से ग्रीन डिपॉजिट निवेश करते समय पालन किया जाना चाहिए।
- इन नियमों को बैंकों की वेबसाइटों पर सार्वजनिक करने की आवश्यकता है।
- एक तीसरे पक्ष को बैंकों द्वारा ग्रीन डिपॉजिट में उनके निवेश के साथ-साथ इन परियोजनाओं की स्थिरता साख के बारे में किए गए दावों को सत्यापित करना होगा।
- आरबीआई उन क्षेत्रों की एक सूची लेकर आया है जिन्हें टिकाऊ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और इस प्रकार वे ग्रीन डिपॉजिट प्राप्त करने के पात्र हैं।
- इन क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ परिवहन, ऊर्जा दक्षता और वनीकरण शामिल हैं।
- बैंकों को जीवाश्म ईंधन, परमाणु ऊर्जा, तम्बाकू आदि से जुड़ी व्यावसायिक परियोजनाओं में हरित जमा राशि का निवेश करने से रोक दिया जाएगा।
- नए नियमों का उद्देश्य ग्रीनवाशिंग को रोकना है, जो किसी गतिविधि के सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में भ्रामक दावे करने को संदर्भित करता है।
- बैंकों को निम्नलिखित के बारे में नियमित जानकारी देनी होगी:
  - प्राप्त ग्रीन डिपॉजिट निवेश राशि।
  - इन जमाओं को विभिन्न हरित परियोजनाओं के लिए कैसे आवंटित किया गया।
  - पर्यावरण पर इस तरह के निवेश का प्रभाव।

छठी स्कॉर्पीन पनडुब्बी वाग्शीर

समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही में, प्रोजेक्ट-75 के तहत निर्मित छठी स्कॉर्पीन पनडुब्बी वाग्शीर का समुद्री परीक्षण शुरू किया गया।

त्वरित मुद्दा?

- यह पनडुब्बी अब समुद्र में अपनी सभी प्रणालियों के गहन परीक्षणों से गुजरेगी, इनमें प्रणोदन प्रणाली, हथियार और सेंसर परीक्षण सम्मिलित हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- INS वाग्शीर का नाम हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक शिकारी सैंड फिश के नाम पर रखा गया है।
- इसका निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) मुंबई द्वारा किया गया है।
- इस पनडुब्बी में पानी के नीचे या सतह पर टारपीडो के साथ-साथ एंटी-शिप मिसाइलों के साथ दुश्मन पर हमला करने की क्षमता है।
- इसमें उन्नत ध्वनिक अवशोषण तकनीकों की तरह बेहतर स्टील्थ विशेषताएं हैं।
- यह बेहद कम आवाज करती है साथ ही छिपकर दुश्मन पर गाइडेड हथियारों के जरिए घातक आक्रमण करने में सक्षम है।
- इस पनडुब्बी को परीक्षणों के पूरा होने के बाद वर्ष 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल किया जायेगा।
- इससे पहले रूस से प्राप्त पनडुब्बी वाग्शीर को वर्ष 1974 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया तथा 1997 में सेवामुक्त कर दिया गया।

अन्य प्रमुख तथ्य?

प्रोजेक्ट 75

- प्रोजेक्ट-75 के अंतर्गत स्कॉर्पीन डिजाइन की छह पनडुब्बियों का स्वदेशी रूप से निर्माण शामिल है।
- प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित पनडुब्बियाँ हथियारों, आधुनिक सेंसरों, ईंधन सेल पर आधारित एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लांट तथा आधुनिक मिसाइलों से सुसज्जित होंगी।
- इन पनडुब्बियों का निर्माण मैसर्स नेवल ग्रुप, फ्रांस के सहयोग से मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) मुंबई द्वारा किया जा रहा है।
- प्रोजेक्ट-75 के तहत, पहली पनडुब्बी INS कलवरी को दिसंबर 2017 में, दूसरी पनडुब्बी INS खंडेरी को सितंबर 2019 में, तीसरी पनडुब्बी INS करंज को मार्च 2021 में, चौथी INS वेला को नवंबर 2021 में तथा पांचवीं पनडुब्बी INS वागीर को जनवरी 2023 में सेवा में शामिल कर लिया गया है।

सांडों को वश में करने वाले खेलों को मंजूरी

समाचार पत्रों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट की पांच - न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र और 1 कर्नाटक द्वारा पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (पीसीए) अधिनियम, 1960 में किए गए संशोधनों को बरकरार रखा।

त्वरित मुद्दा?

- अपने निर्णय से अदालत ने जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ जैसे सांडों को वश में करने वाले खेलों की अनुमति दी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- शीर्ष अदालत ने अपने अवलोकन में कहा कि तमिलनाडु में सांडों को वश में करने का पारंपरिक खेल 'जल्लीकट्टू' पिछली शताब्दी से चल रहा है।
- फैसले में कहा गया है कि जल्लीकट्टू पर 2017 का संशोधन अधिनियम और नियम संविधान की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 17 (जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम), अनुच्छेद 51ए (जी) (प्यार करने वाले जीवों के प्रति दया) के अनुरूप हैं।
- इसके अलावा, संशोधन अधिनियम जानवरों के प्रति क्रूरता के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है। यह उन शरारतों का समाधान करता है जो कानून के अस्तित्व में आने से पहले प्रचलित थीं।
- हालाँकि, अदालत ने यह भी कहा कि जल्लीकट्टू मुद्दा "विवाद योग्य " था, और अंततः लोक सभा (लोकसभा) द्वारा तय किया जाना चाहिए।
- अदालत ने यह भी कहा कि "सांस्कृतिक परंपरा " के नाम पर वैधानिक कानून (इस मामले में, 2017 के कानून) का कोई भी उल्लंघन दंडनीय कानून को आकर्षित करेगा।
- 2006: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने से इनकार कर दिया और राज्य सरकार को जानवरों के खिलाफ क्रूरता को रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।
- 2007 : जल्लीकट्टू के आयोजकों ने अपील दायर की और डिवीजनल बेंच ने आदेश पर रोक लगा दी, जिससे आयोजन का मार्ग प्रशस्त हो गया। हालांकि, जुलाई, 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी।
- 2009: DMK सरकार ने जल्लीकट्टू अधिनियम, 2009 के तमिलनाडु विनियमन को पारित किया, जिसे PETA ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी।
- 2014: सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाया और राज्य के कानून को रद्द कर दिया।
- 2017 : केंद्र ने पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 की रोकथाम में राज्य संशोधन लाने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तावित अध्यादेश को मंजूरी दी।
- 2018: सुप्रीम कोर्ट ने खेलों के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को पांच जजों की संवैधानिक बेंच को भेजा।
- मई, 2023: शीर्ष अदालत ने राज्य के कानून को बरकरार रखा और जल्लीकट्टू के आयोजन की अनुमति दी।